खेताराम बनाम पृथ्वीराज

18-6-25

अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की मृत्यु दिनांक 19–08–2024 को हो गई तथा अपीलांट द्वारा उक्त आशय की जानकारी न्यायालय के समक्ष जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13–02–2025 को ही प्रस्तुत कर दी गई जिस पर अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा तीन पेशियां दी जा चुकी है मगर अपीलांट द्वारा आदिनांक तक ना तो अबेटमेंट सेट असाईड करवने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा ना ही अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट की मृत्यु दिनांक 19–08–2024 को जाने से एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदिनांक तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रस्तुत अपील अबेट हो चुकी है। अतः अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट की मृत्यु दिनांक 19–08–2024 को हो गई है एवं अपील में आदिनांक तक किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अबेट हो जाने से अपील अबेटमेंट पर खारिज की जावे। इस संबंध में पत्रावली में सलंग्न अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की मृत्यु दिनांक 19–08–2024 को हो गई है एवं अपील में आदिनांक तक अपीलांट की मृत्यु पश्चात कोई विधिक कार्यवाही नही की गई है। अतः हस्तगत् अपील जरिये उपशमन (अबेटमेंट) खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर